Reporters Required!
For
Delhi, Haryana, UP, Ludhiana, Shimla, Bihar, Jammu, Jaipur Amritsar, Bathinda,
Call/WhatsApp:
+91-9157875000
+91-9815619715
Email:
azadvaani65@gmail.com

Azad वाणी
NEWS • VIEWS • ANALYSIS
RNI No.
PBBIL/26/A0779

Sat - 11 April - 2026 | Year - 01 | Issue - 05 | Page - 01 | Rs. - 5 | www.azadvaani.com

टाइकोन चंडीगढ़ 2026: एमएसएमई और हेल्थ सेक्टर में स्टार्टअप्स पर जोर

चंडीगढ़, 11 अप्रैल 2026: TiEcon Chandigarh 2026 के दूसरे दिन पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री Sanjeev Arora ने एमएसएमई और स्वास्थ्य सेवाओं में स्टार्टअप्स की बढ़ती आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के जीडीपी में लगभग 30% योगदान देने वाले एमएसएमई क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्टार्टअप्स के लिए अपार संभावनाएं हैं, जो निवेशकों के लिए नए अवसर खोलती हैं।अरोड़ा ने सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए भी स्टार्टअप्स की अहम भूमिका बताई, जिससे कमजोर वर्गों तक समय पर चिकित्सा सुविधाएं पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि Mohali को "सिलिकॉन वैली" के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है, जिससे राज्य का आईटी इकोसिस्टम मजबूत होगा।उन्होंने बताया कि Bhagwant Singh Mann के नेतृत्व में सरकार स्टार्टअप्स को हर संभव सहयोग दे रही है। सीड फंडिंग को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है और इस वर्ष सभी योग्य स्टार्टअप्स को बिना किसी सीमा के मंजूरी दी जाएगी।कार्यक्रम में Puneet Verma और Brahm Aleraja ने भी सरकार के सहयोग की सराहना की। टाइकोन चंडीगढ़ अब क्षेत्र का प्रमुख उद्यमशील मंच बन चुका है, जहां निवेशक, स्टार्टअप्स और उद्योग विशेषज्ञ एक साथ मिलकर नवाचार को बढ़ावा देते हैं।

एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

शिमला, 11 अप्रैल 2026: हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मियों का आरोप है कि उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है और 12-12 घंटे काम लेने के बावजूद ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जाता। इस हड़ताल के चलते आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लगी हैं, जिससे मरीजों और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

सोशल मीडिया पर गन कल्चर के खिलाफ हरियाणा पुलिस की सख्ती

चंडीगढ़, 11 अप्रैल 2026: हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों और हिंसा को बढ़ावा देने वाले कंटेंट पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। पुलिस के अनुसार, इस वर्ष अब तक 6,000 से अधिक मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है।

अधिकारियों ने युवाओं से अपील की है कि वे ऐसे पोस्ट साझा करने से बचें, अन्यथा सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

अभियान का उद्देश्य समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।

होमबायर्स को बड़ी राहत, बिल्डर्स की गलती का नहीं भुगतना होगा खामियाजा

पंजाब में घर खरीदने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। Punjab Pollution Control Board (PPCB) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब बिल्डर्स की पर्यावरणीय नियमों में लापरवाही का खामियाजा आम होमबायर्स को नहीं भुगतना पड़ेगा।

अब तक कई मामलों में देखा गया था कि बिल्डर्स द्वारा पर्यावरण मानकों का पालन न करने पर परियोजनाओं पर कार्रवाई होती थी, जिसका सीधा असर घर खरीद चुके लोगों पर पड़ता था। ऐसे में बिजली कनेक्शन, पानी की सुविधा और रजिस्ट्री जैसी जरूरी सेवाओं पर रोक लग जाती थी, जिससे खरीदारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी।लेकिन PPCB के नए फैसले के तहत अब इस तरह की पाबंदियां सीधे तौर पर होमबायर्स पर लागू नहीं होंगी।

यानी जिन लोगों ने अपने जीवन की बचत लगाकर घर खरीदा है, उन्हें अब बिल्डर्स की गलती के कारण बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। इससे राज्य के हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दोषी बिल्डर्स पर जुर्माना, कानूनी कार्रवाई और परियोजनाओं पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही को रोका जा सके।

चंडीगढ़ में निजी स्कूलों को राहत: 12 अनधिकृत संस्थानों को मिली अस्थायी मान्यता

चंडीगढ़, 12 अप्रैल 2026: Chandigarh में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण राहत भरी खबर सामने आई है। प्रशासन ने 12 अनधिकृत निजी स्कूलों को अस्थायी मान्यता प्रदान कर दी है, जिससे हजारों विद्यार्थियों और शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। इस निर्णय से करीब 4,700 छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने से बच गई है, वहीं स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की नौकरियां भी सुरक्षित हो गई हैं।प्रशासन का यह कदम उन अभिभावकों के लिए भी सुकून भरा है, जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थे। अस्थायी मान्यता मिलने के बाद अब इन

स्कूलों को निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए समय दिया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण भी किया जाएगा।शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता लाने के साथ-साथ छात्रों के हितों की रक्षा करेगा। साथ ही, यह स्कूलों को आवश्यक सुधार करने के लिए प्रेरित भी करेगा, जिससे भविष्य में उन्हें स्थायी मान्यता मिल सके।

Authorised Dealer/Distributor

Industrial Pumps | Mechanical Seals | Pump Spares

A. M. ENGINEERING
279, Industrial Area, Phase-II, Chandigarh 160002
+91-9417455482
+91-9878316683
am.engg@yahoo.com
info@amengineering.in

Printed by: Desh Sewak Printers Limited, Sector-29-D, Chandigarh – 160030 and Published by: Shafiur Rahman from #2111 SF, TDI City, Sector-110, Mohali, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab – 140307. RNI Number: PBBIL/26/A0779.